

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 2 (ग) (1) अलेसे-1 / निप/1773-79

दिनांक 17 अप्रैल .2015

कार्यालयमुक्ति आदेश

विभागीय आदेश संख्या 100 दिनांक 28.10.2014 के द्वारा श्री सुरेश चन्द जैन ,सहायक लेखाधिकारी (लिनक नंबर 2684)कार्यालय महानिदेशक पुलिस विभाग,राजस्थान जयपुर का स्थानान्तरण / पदस्थापन मानवाधिकार आयोग,राजस्थान जयपुर में सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद पर किया गया था किन्तु विभागीय आदेश की पालना में आदिनांक तक श्री जैन सहायक लेखाधिकारी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः श्री सुरेश चन्द जैन सहायक लेखाधिकारी को संदर्भित आदेश दिनांक 28.10.2014 की निरन्तरता में आज दिनांक 17.4.15 को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आज दिनांक 17.4.2015 को मध्याह्न पूर्व नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना से व्यक्तिशःउपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा विभागीय आदेशों की अवहेलना केलिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ।


(भास्कर शर्मा)
17.4.2015

निदेशक

क्रमांक एफ 2 (क) (1) अलेसे-1 / निप/1773-79

दिनांक 17.4. 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व)विभाग जयपुर
- 2 महानिदेशक / वित्तीय सलाहकार पुलिस विभाग,राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे सम्बन्धित कार्मिक को आज दिनांक 17.4.2015 को मध्याह्न पूर्व कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें ।
- 3 कोषाधिकारी सचिवालय / शहर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जैन सलेअ का माह अप्रैल 2015 का वेतन बिल नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने तक पारित नहीं किया जावे।
- 4 श्री सुरेश चंद जैन सहायक लेखाधिकारी कार्यालय पुलिस महानिदेशक,राजस्थान जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन से कार्यभार छोड़कर (Charge relinquish)नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब फैंक्स /व्यक्तिशः प्रस्तुत करावे।
- 5 वरिष्ठ निजी सहायक , निदेशक
- 6 निजी पत्रावली


अति.निदेशक (कार्मिक प्रथम)